पत्र सं0- जनसूचना - सामान्य -विवरण (शा0)/ 2013-14 / 997 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(जनसूचना अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 24 जुलाई, 2013

-: आदेश :-

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.04.2013 के कार्यवृत्त में निर्देश दिये गये है कि जनसूचना अधिकारियो के विरुद्ध मा0 राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा पारित दण्डादेशों के विरुद्ध अर्थदण्ड की वसूली के सम्बन्ध में समन्वय कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जायें तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि अर्थदण्ड की वसूली वेतन बिल बनाते समय की जाय।

शासन के उक्त निर्देशों के क्रम में वाणिज्य कर मुख्यालय हेतु डिप्टी कमिश्नर/ आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय को तथा क्षेत्र स्तर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभाग में तैनात आहरण वितरण अधिकारियों को उक्त कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। समस्त नोडल अधिकारी उक्त अर्थदण्ड की तदनुसार वसूली करते हुए इस सम्बन्ध में पंजी व्यवस्थित किया जाना सुनिश्चित करेगें।

ह0 -

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

पृ0प0संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या- 1395/11-3-2013-265/05 दिनांक 07-05-2013 के संदर्भ में।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय एवं अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, गोमतीनगर लखनऊ।

3- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश/ एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (मा0 उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (मा0 सर्वोच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद ।

4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

5- डिप्टी कमिश्नर एवं आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

6- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सत्येन्द्र नाथ गुप्ता)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना) वाणिज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ।